

न्यायालय तहसीलदार राजाखेडा (धौलपुर)

५५२७ + २०
१९

निर्णय दिनांक १४.९.१७

रिपोर्ट पटवारी हल्का अ०३वा०३२मी द्वारा प्रस्तुत की गई । प्रकरण राजस्थान भू० राजस्व अधिनियम १९५६ की धारा ९१ के तहत दर्ज रजिस्टर होकर अतिक्रमी को जरिये नोटिस तलब किया जावे । पत्रावली दिनांक २७.७.१७ को पेश हो ।

पत्रावली पेश हुई । आवाज लगवाई गई गैर सायल उपस्थित / अनुपस्थित रहा संक्षिप्त में विवरण निम्नप्रकार है कि पटवारी हल्का अ०३वा०३२मी द्वारा इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है कि गैर सायल जोशिन पुत्र भारत सिंह कौम ब्राह्मण निवासी राजपुरा तहसील राजाखेडा ने आराजी ख० न० १५३४/१३३ किस्म राजाखेडा रकवा ७०/१५ बांके ग्राम अ०३वा०३२मी पर पत्रावली की अतिक्रमण कर लिया है प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । गैर सायल को जरिये नोटिस से तलब किया गया । गैर सायल उपस्थित / अनुपस्थित रहा । कोई सबूत व साक्ष्य पेश नहीं किया गया । तत्पश्चात रिपोर्ट पटवारी हल्का का अवलोकन किया तो पाया गया कि अतिचारी का अतिचार सिद्ध होता है ।

अतः राजस्थान भू० राजस्व अधिनियम १९५६ की धारा ९१ के तहत अतिचारी को उक्त आराजी से बेदखल किया जाता है शरह लगान ०.२० की ५० गुनी से शास्ति राशि १०/- रूपये आरोपित की जाती है । भू० अभिलेख निरीक्षक / पटवारी हल्का को लिखा जावे । टी० आर० ए० को मांग कायमी हेतु लिखा जाकर पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो । निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया ।

दिनांक १०
पृष्ठ सं० १०३ प्रम सं० ०१
- दर्ज की गई
TRA
राजाखेडा

राजाखेडा
तहसीलदार
राजाखेडा